संसद प्रश्न

तत्काल

फाइल न. एच-11011/28/2015-डब्ल्यू.क्यू.

भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

जल गुणवत्ता अनुभाग

चौथा तल, पर्यावरण भवन,

सीजीओ कॉँप्लैक्स, लोदी रोड,

नई दिल्ली-110003

दिनांक: 29.04.2015

सेवा में,

प्रधान सचिव/ग्रामीण जलापूर्ति के प्रभारी

(अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड/संघ राज्य क्षेत्र)

विषय: जल एटीएम का कार्यकरण।

महोदय/महोदया,

इस मंत्रालय को जल एटीएमों के कार्यकरण से संबंधित लोक सभा के तारांकित/अतारांकित प्रश्न संख्या डायरी 30658 प्राप्त हुआ है, जिसका उत्तर लोक सभा में दिनांक 07.05.2015 को देय था। प्रश्न नीचे दिया गया है:

जल एटीएम कार्य प्रणाली

30658. श्रीमती मीनाक्षी लेखी, एम.पी.

क्या पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार देश में जल एटीएम परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है या कार्यान्वित करने का प्रस्ताव रखती है, यदि हाँ तो देश में कार्य कर रहे जल एटीएमों की राज्य-संघ

राज्य क्षेत्र-वार संख्या का विवरण तथा लाभार्थियों की संख्या एवं जल एटीएमों को स्थापित करने व उन्हें चलाने की लागत बताएँ।

(ख) क्या जल एटीएम परियोजना सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में चलाई जा रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो इन परियोजनाओं में निजी भागीदारों का विवरण तथा उनकी भागीदारी का दायरा बताएँ?

2. अनुरोध है कि उपयुक्त प्रश्न से संबंधित अद्यतन सूचना शीघ्र-अतिशीघ्र भेजें।

भवदीय

(डी. राजशेखर)
उप सलाहकार
दूरभाष:-011-24361656, फैक्स:-011-24364113
ई-मेल:-sharathraj2008@gmail.com